

दिनांक: 27.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री भारत भूषण पुरोहित न्यायालय में उपस्थित हैं।

वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रेषित नोटिस अदम तामीली प्रपत्र संख्या 11ख पत्रावली में वापस प्राप्त है। पत्रावलित हो।

वाहन स्वामी के विरुद्ध पुनः नोटिस जारी किया जाये।

पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 14.08.2023 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।